न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 81/2020 जिला सीकर

1. ज्याना देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी ग्राम नांगल, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. भागीरथ पुत्र भूरा जाति निवासी ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला—सीकर।

—रेस्पोंडेन्ट्स

2. राहुल कुमार पुत्र प्रहलाद, जाति ब्राहमण
3. घासी लाल पुत्र गीदा, जाति जाट
4. सीताराम पुत्र साधूराम, जाति अहीर

समस्त निवासी ग्राम नांगल, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनिमय 1956 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 23.03.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर प्रकरण संख्या 39/2018

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री राकेश कुमार पारीक
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 4 श्री के.आर.शर्मा

निर्णय

दिनांक —26.07.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.03.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 02.03.2020 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :—

तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 09.02.2018 के द्वारा ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 3101/4763, 3101/4762, 3105, 3112 में से रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मंय नक्शा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप—6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 09.02.2018 के द्वारा मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू होकर ढाणी पूरलीकाली होते हुए ढाणी साहवाली नांगल से लिसाडिया जाने वाली मुख्य सडक को जोडता है। जो सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध व रूकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.03.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 23.03.2018 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3101/4763, रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3101/4762 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3105 रकबा 1.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3112 रकबा 1.22 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.94 हैक्टेयर ग्राम नांगल पटवार हल्का नांगल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गउ, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदी अनुसार काबिज खातेदार काश्तकार अपीलान्टस व राहुल कुमार प्रहलाद, घासी लाल पुत्र गीदा, सीताराम पुत्र साधूराम के नाम है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3101 के मूल रकबे का विभाजन कर उक्त खसरा नम्बर बनाये गये है। जिसका राजस्व जमाबंदी में अमल दरामद किया जा चुका है लेकिन राजस्व नक्शे में अमल दरामद आज दिनांक तक नहीं हुआ है। जिस कारण प्रश्नागत भूमि मौके पर व रिकार्ड अनुसार अविभाजित है एवं बजमाने बुजुर्गान के समय से ही खातेदार प्रश्नागत भूमि पर मौके पर बहामी बंटवारे के आधार पर अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रश्नागत भूमि के लगते हुये खसरा नम्बर 3113, 3112, 4557, 4558, 4559 व 4600 जो अन्य खातेदार काश्तकारान की है। अपीलांट की भूमि व उक्त लगते हुये खसरों के मध्य अपीलान्ट का निजी रास्ता आवागमन हेतु मुख्य सडक तक आवागमन हेतु बना रखा है। उक्त रास्ता नांगल से लिसाडिया मुख्य सडक को जोडता है। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने बिना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये व बिना मौका देखे केवल मात्र तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशंषा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दे दिये। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क का अवलोकन करना चाहिये था। यदि किसी खातेदार काश्तकार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251क के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करके प्रचलित बाजार दर से दुगनी राशि पर रास्ता देने का प्रावधान दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2018 को निरस्त किया जावे। दिनांक 09.02.2020 को राजस्व कर्मचारी मौके पर आये और नाप जोख करने लगे जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व कर्मचारियों से पूछताछ कर जानकारी हुई तथा तहसील व न्यायालय से रिकॉर्ड व निर्णय दिनांक 23.03.2018 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्दर मियाद उक्त अपील माननीय के समक्ष पेश की जा रही है। अपीलान्ट ने उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत कर कर अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर समाहत फरमाई जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 09.02.2018 के द्वारा ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 3101/4763, 3101/4762, 3105, 3112 में से रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मंय नक्शा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 09.02.2018 के द्वारा मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू होकर ढाणी पूरलीकाली होते हुए ढाणी साहवाली नांगल से लिसाडिया जाने वाली मुख्य सडक को जोडता है। जो सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध व रूकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्रेषित किये गये। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ

Scanned by CamScanner

न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी उसे नकल दिनांक 09.02.2020 से प्राप्त होने पर बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किए गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किए जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 09.02.2018 के अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 09.02.2018 के द्वारा ग्राम नांगल तहसील श्रीमाधोपुर के ख.नं. 3101/4763, 3101/4762, 3105, 3112 में से रास्तो का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मंय नक्शा उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाया गया। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्ताव दिनांक 09.02.2018 के द्वारा मुताबिक प्रस्ताव रास्ता प्रचलित है तथा वर्तमान में मौके पर उक्त रास्ता चालू होकर ढाणी पूरलीकाली होते हुए ढाणी साहवाली नांगल से लिसाडिया जाने वाली मुख्य सडक को जोडता है। जो सार्वजनिक हित में काम आ रहा है। रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध व रूकावट नहीं है। आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 23.03.2018 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्ता को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी के खेत नं. 3101/4763, 3101/4762, 3105, 3112 कुल किता 4 में जिस खसरा से रास्ता फैसल हुआ है, उसमें रास्ते के रकबा को अपीलार्थी की खातेदारी से पृथक नहीं किया गया है, केवल मौका स्थितिनुसार रास्ता का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 23.03.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner